



2026:AHC: 180303

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक पुनरीक्षण संख्या - 5306 वर्ष 2026

सत्येंद्र कुमार मिश्रा

.....पुनरीक्षणकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य

.....विपक्षी(गण)

पुनरीक्षणकर्ता(गण) के अधिवक्ता : हिमांशु मिश्रा

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या- 86

माननीय न्यायमूर्ति प्रवीण कुमार गिरि

1. पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि उन्होंने वर्तमान आपराधिक पुनरीक्षण उस अनुतोष के साथ प्रस्तुत किया है जिसका उल्लेख पुनरीक्षण के प्रार्थना खंड में किया गया है।

2. पुनरीक्षण में उल्लिखित अनुतोष नीचे वर्णित है:-

"अत्यंत सम्मानपूर्वक यह प्रार्थना की जाती है कि यह माननीय न्यायालय कृपापूर्वक वर्तमान पुनरीक्षण को स्वीकार करे और विद्वान प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, औरैया द्वारा थाना औरैया, जिला औरैया में द.प्र.सं. की धारा 125 के अंतर्गत वाद संख्या 511/2024 (कंचन बनाम सत्येंद्र कुमार मिश्रा) में पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश दिनांक 14.07.2026 को अपास्त करे, जिसके द्वारा उन्होंने द.प्र.सं. की धारा 125 के अंतर्गत विपक्षी संख्या 2 के आवेदन को स्वीकार कर लिया है और पुनरीक्षणकर्ता को यहां विपक्षी संख्या 2 को हर महीने भरण-पोषण के रूप में 10,000/- रुपये का अंतरिम भरण-पोषण भुगतान करने का निर्देश दिया है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



यह आगे प्रार्थना की जाती है कि यह माननीय न्यायालय विद्वान प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, औरैया द्वारा थाना औरैया, जिला औरैया में द.प्र.सं. की धारा 125 के अंतर्गत वाद संख्या 511/2024 (कंचन बनाम सतेंद्र कुमार मिश्रा) में पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश दिनांक 14.07.2026 के प्रभाव और प्रवर्तन पर रोक लगाने की कृपा करे, और या ऐसा अन्य और आगे का आदेश पारित करे जो यह माननीय न्यायालय मामले की इन परिस्थितियों में उचित और उपयुक्त समझे।"

3. पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आदेश दिनांक 14.07.2026 के माध्यम से, पत्नी को आवेदन की तिथि से 10,000/- रुपये तक का अंतरिम भरण-पोषण प्रदान किया गया है। उन्होंने आगे तर्क प्रस्तुत किया कि पुनरीक्षणकर्ता आदेश की तिथि से अंतरिम भरण-पोषण की राशि का भुगतान करने के लिए तैयार है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि अंतिम न्यायनिर्णयन के समय, प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, औरैया, **रजनीश बनाम नेहा; (2021) 2 एससीसी 324** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार, या तो आदेश की तिथि से या आवेदन की तिथि से भरण-पोषण प्रदान करने का आदेश पारित करेंगे।

4. न्याय के हित में, आवेदन की तिथि से 14.07.2026 तक भरण-पोषण का बकाया स्थगित रहेगा। जहां तक आदेश की तिथि अर्थात् 14.07.2026 से अंतरिम भरण-पोषण का संबंध है, उसका भुगतान पुनरीक्षणकर्ता द्वारा इस माह से किया जाएगा।

5. यदि, पुनरीक्षणकर्ता पूर्वोक्त निर्देशों में से किसी का भी अनुपालन करने में विफल रहता है, तो प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, औरैया आदेश दिनांक 14.07.2026 के संदर्भ में पुनरीक्षणकर्ता से भरण-पोषण राशि के बकाये की वसूली के लिए कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र होंगे।

6. प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, औरैया को द.प्र.सं. की धारा 125/बी.एन.एस.एस. की धारा 144 के अंतर्गत दाखिल लंबित आवेदन पर स्वतंत्र रूप से, विधि के अनुसार और अभिलेख पर साक्ष्य के आधार पर, इस आदेश में की गई किसी भी टिप्पणी से प्रभावित हुए बिना, दोनों पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात और कोई अनावश्यक स्थगन प्रदान किए बिना, अधिमानतः छह माह की अवधि के भीतर अंतिम आदेश पारित करने का भी निर्देश दिया जाता है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



7. विचारण न्यायालय वाद को मध्यस्थता केंद्र को भी संदर्भित कर सकता है, यदि पक्षकार मध्यस्थता के माध्यम से सौहार्दपूर्ण ढंग से विवाद को निपटाने के इच्छुक हैं।

8. प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, औरैया के लिए यह अभी भी खुला रहेगा कि द.प्र.सं. की धारा 125 के अंतर्गत आवेदन को अंतिम रूप से तय करते समय, **रजनीश** (उपरोक्त) के निर्णय के दृष्टिगत, भरण-पोषण राशि या तो आवेदन की तिथि से या आदेश की तिथि से प्रदान की जा सकती है।

9. पूर्वोक्त निर्देशों के साथ, यह पुनरीक्षण **निस्तारित** किया जाता है।

31 अगस्त, 2026

के. तिवारी

(न्यायमूर्ति प्रवीण कुमार गिरि)

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”